

**1 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

**न्यायालय:- प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)**

**अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013**

**संस्थित दिनांक:-27/12/13**

**फाईलिंग नम्बर:- 230303006152013**

राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र, गोहद चौराहा  
जिला-भिण्ड म0प्र0

**अभियोजन**

बनाम्

1. अन्नू उर्फ मनोज पुत्र रामलखन समाधिया उम्र-28 वर्ष  
निवासी-कन्हारी थाना मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
2. रामसेवक पुत्र मलखान प्रसाद दीक्षित उम्र-60 वर्ष  
निवासी- कमलसिंह का बाग शिंधे की छावनी लश्कर  
हाल ग्राम सैथरी थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

.....**आरोपीगण**

(आरोप अंतर्गत धारा- 25 (1-बी) ए एवं धारा 29 आयुद्ध अधिनियम)

(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधि0- श्री अशोक पचौरी )

**// निर्णय //**

**// आज दिनांक 19.04.17 को घोषित //**

आरोपी अन्नू उर्फ मनोज पर दिनांक 07.07.13 को 11:15 बजे पेट्रोलपंप के पीछे खेत में ग्वालियर भिण्ड रोड पर आयुद्ध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाला आयुद्ध 315 बोर की बंदूक एवं 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए एवं आरोपी रामसेवक पर उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने स्वत्व व आधिपत्य की 315 बोर की बंदूक एवं 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड यह अभिनिश्चित किए बिना कि आरोपी अन्नू उक्त आयुद्ध को धारण करने की वैध अनुज्ञप्ति नहीं रखता है आरोपी अन्नू को परिदत्त करने हेतु आयुद्ध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.07.13 को भंवरपाल बंजारा नामक व्यक्ति ने पुलिस थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट की थी जिसकी तशदीक हेतु प्रधान आरक्षक

## **2 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

वीरेन्द्र सिंह दरोगा जी सुभाष पांडे के साथ मय फोर्स रवाना होकर बंजारे के पुरा पर गए थे। बंजारे के पुरा पर जरिए मुखबिर पांडे जी को सूचना मिली थी कि चार व्यक्ति जिनके हाथ में बंदूक है वे पहाड़ पर गंभीर वारदात करने की नियत से घूम रहे हैं। सूचना की तत्दीक हेतु वह मय फोर्स बताए हुए स्थान पर पहुंचा था तो चार व्यक्ति हाथों में बंदूक लिए हुए दिखे थे जो पुलिस फोर्स को देखकर अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे थे। ए0एस0आई0 पांडे ने प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह को आरोपीगण को पकड़ने के लिए कहा था। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के पीछे खेतों की तरफ भागा था तो प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह ने आरक्षक गुलाब सिंह एवं फोर्स की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ लिया था एवं नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अन्नू उर्फ मनोज बताया था। आरोपी के पास बंदूक एवं कारतूस रखने बावत लाईसेंस नहीं था। उसने आरोपी से मौके पर ही 315 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस जप्त कर जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। तत्पश्चात थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध [अप0क 168/13](#) पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान उसने आरोपी रामसेवक से जप्तशुदा बंदूक का लाईसेंस जप्त किया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्तानुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये आरोपीगण को आरोप पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया ।

4. दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वे निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

**5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है—**

1. क्या आरोपी अन्नू ने दिनांक 07.07.13 को 11:15 बजे पेट्रोल पंप के पीछे खेत में ग्वालियर भिण्ड रोड पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक संचालनीय स्थिति वाली 315 बोर की बंदूक एवं 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे?
2. क्या आरोपी रामसेवक ने घटना दिनांक समय व स्थान पर 315 बोर की बंदूक एवं 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड, आरोपी अन्नू को जो कि आयुध को धारण करने की पात्रता नहीं रकता था को परिदत्त किये?
6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से आरक्षक गुलाब सिंह आ0सा01, भगवती प्रसाद आ0सा02, योगेन्द्र सिंह आ0सा03, प्रधान आरक्षक राजेन्द्रसिंह आ0सा04 आरक्षक सुरेश दुवे आ0सा05, ओमप्रकाश आ0सा0 6 मनोज शुक्ला आ0सा0 7 एवं प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह आ0सा0 8 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित

### 3 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ

नहीं कराया गया है ।

#### { निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण }

#### विचारणीय प्रश्न क्र०-1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 07.07.15 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में ग्राम बंजारे के पुरा से मारपीट की रिपोर्ट की गई थी तो वे दरोगा जी पांडे एवं पुलिस बल के साथ सरकारी गाड़ी एवं मोटरसाईकिल से मय फोर्स बंजारे के पुरा गए थे। दरोगा जी सुभाष पांडे को ग्राम बंजारे के पुरा में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चार व्यक्ति पहाड़ पर बंदूक लिए घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर वे सब लोग पहाड़ पर गए थे तो वहां चार व्यक्ति इधर उधर भागने लगे थे। सुभाष पांडे दरोगा जी ने उसे एवं आरक्षक गुलाब सिंह को एक लड़के को पकड़ने के लिए भेजा था। उसने व आरक्षक गुलाब सिंह ने एक लड़के को पकड़ा था। नाम पूछने पर उस लड़के ने अपना नाम अन्नू उर्फ मनोज बताया था। आरोपी 315 बोर की रायफल लिए था। रायफल की मैगजीन में दो राउण्ड लगे हुए थे। आरोपी अन्नू के पास रायफल रखने बावत लाईसेंस नहीं था। उसने मौकेपर ही गवाह गुलाब सिंह एवं एक अन्य गवाह शर्मा के समक्ष आरोपी अन्नू से 315 बोर की बंदूक एवं दो राउण्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके पर ही आरोपी अन्नू को गिरफ्तार कर गिर० पंचनामा प्र०पी० 2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात थाना वापस आकर प्र०पी० 9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी। जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 की बंदूक एवं आर्टिकल बी एवं सी के कारतूस वहीं बंदूक एवं कारतूस हैं जो उसने घटना दिनांक को आरोपी अन्नू से जप्त किये थे।

08. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह एवं ओमप्रकाश मौकेपर मौजूद थे। उसने ओमप्रकाश को बुलाकर उसके हस्ताक्षर कराए थे। उसने ओमप्रकाश के हस्ताक्षर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 पर कराए थे। पदक्रमांक 4 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र०पी० 1 पर जप्ती की शील अंकित नहीं है।

09. आरक्षक गुलाब सिंह अ०सा० 1 ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को वीरेन्द्र सिंह के साथ बंजारे के पुरा पर जाने एवं आरोपी से बंदूक एवं कारतूस जप्त करने बावत प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पदक्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि साक्षी भगवती उसके साथ नहीं था। भगवती शर्मा ने उसके सामने प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। जप्ती की शील नमूना लगा था या नहीं उसे कोई जानकारी नहीं है।

#### **4 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

10. साक्षी भगवती प्रसाद अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन साल पहले की है। अन्नू शर्मा ग्वालियर से बस में बैठकर आ रहा था। तो गोहद चौराहा थाने के सामने पुलिस ने उसे पकड़ा था एवं उससे बंदूक जप्त की थी तथा लिखापढ़ी की थी। जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 के क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को बंजारे के पुरा पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए घूम रहा था एवं पुलिस उसके पीछे भाग रही थी तथा इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को घेर कर मय बंदूक के पकड़ा था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 पर उसके अलावा और किसके हस्ताक्षर हैं। घटना शाम के समय की है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 पर हस्ताक्षर थाने पर किए थे।

11. योगेन्द्र सिंह अ0सा0 3 ने अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 4 को प्रमाणित किया है। प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ0सा0 4 ने मेमोरेंडम प्र0पी0 5 एवं आरोपी रामसेवक के गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 6 तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी0 7 को प्रमाणित किया है। आरक्षक सुरेश दुवे अ0सा0 5 ने जप्तशुदा आयुध की जांच रिपोर्ट प्र0पी0 8 को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. सर्व प्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार ली गई है। उक्त संबंध में साक्षी योगेन्द्र सिंह अ0सा0 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 23.12.13 को थाना गोहद चौराहे के आरक्षक राजेन्द्र सिंह द्वारा थाने के अप0क168/13 की कैस डायरी जप्तशुदा आयुध सहित अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु जिला दंडाधिकारी कार्यालय भिण्ड में प्रस्तुत की गई थी एवं तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री पी0के0 श्रीवास्तव द्वारा कैस डायरी एवं जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी अन्नू उर्फ मनोज शर्मा के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 4 है जिसके एसेए भाग पर तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री पी0के0 श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने श्री पी0के0 श्रीवास्तव के अधीनस्थ कार्य किया है इसलिये वह उनके हस्ताक्षरों से परिचित है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

14. इस प्रकार योगेन्द्र सिंह अ0सा0 3 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि



## **5 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा आयुध कैस डायरी सहित तत्कालीन जिला दंडाधिकारी श्री पी०के० श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एवं श्री पी०के० श्रीवास्तव ने जप्तशुदा आयुध के अवलोकन पश्चात आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति विधिनुसार प्राप्त की गई थी।

15. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे। उक्त संबंध में आर्म्समोहरीर सुरेश दुबे आ०सा०५ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 08.08.13 को पुलिस लाइन भिण्ड में थाना गोहद चौराहे के अप०क्र० 168/13 में जप्तशुदा 315 बोर रायफल एवं 315 बोर के दो कारतूस की जांच की थी जांच के दौरान उसने रायफल का एक्शन चैक किया था रायफल चालू हालत में थी रायफल से फायर किया जा सकता था। जप्तशुदा 315 बोर के कारतूस भी चालू हालत में थे दोनों कारतूसों से भी फायर किया जा सकता था। उसकी जांच रिपोर्ट प्र०पी०८ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने बंदूक से फायर करके नहीं देखा था।

16. इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे आ०सा०५ ने अपने कथन में जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में होना बताया है। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने बंदूक से फायर करने नहीं देखा था। परंतु उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने रायफल का एक्शन चैक किया था। रायफल का एक्शन सही था तथा रायफल से फायर किया जा सकता था। सुरेश दुबे आ०सा० 5 ने जप्तशुदा रायफल का एक्शन सही काम करना बताया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्य के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि जप्तशुदा रायफल संचालनीय स्थिति में नहीं थी। यद्यपि सुरेश दुबे आ०सा० 5 ने जप्तशुदा रायफल से फायर करके नहीं देखा था। परंतु उसने रायफल के कलपुर्जों की जांच करके बताया है कि रायफल चालू हालत में थी। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि सुरेश दुबे आ०सा० 5 ने जप्तशुदा बंदूक से फायर करके नहीं देखा था अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार आरक्षक सुरेश दुबे आ०सा० 5 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने जप्तशुदा रायफल एवं कारतूस की जांच की थी तथा जांच के दौरान रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में था। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्य के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि जप्तशुदा 315 की रायफल एवं कारतूस संचालनीय स्थिति में थे।

## **6 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

17. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या जप्तशुदा 315 बोर की रायफल एवं कारतूस आरोपी अन्नू उर्फ मनोज ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे? उक्त संबंध में जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को पुलिस थाना गोहद चौराहे पर बंजारे के पुरा से मारपीट की रिपोर्ट की गई थी तो वह दरोगा जी एवं पुलिस बल के साथ ग्राम बंजारे के पुरा गया था। ग्राम बंजारे के पुरा पर दरोगा जी सुभाष पांडे को मुखबिर से आरोपी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी एवं सूचना प्राप्त होने पर वह सब लोग पहाड़ पर गए थे जहां उसने एवं आरक्षक गुलाब सिंह ने आरोपी अन्नू उर्फ मनोज को रायफल लिए हुए पकड़ा था। इस प्रकार प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 ने घटना दिनांक को ग्राम बंजारे के पुरा जाने एवं आरोपी अन्नू उर्फ मनोज से 315 बोर की बंदूक तथा दो कारतूस जप्त करना बताया है। परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा चान्हा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि जब कोई पुलिस कर्मचारी/ अधिकारी थाने से रवाना होता है तो उसकी रवानगी रोजनामचे में दर्ज की जाती है एवं वह रोजनामचा सान्हा उस पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी की थाने से रवानगी का प्राथमिक साक्ष्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 ने घटना दिनांक को ग्राम बंजारे के पुरा जाना बताया है परंतु उक्त संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही प्रस्तुत न करने का कोई कारण बताया गया है। प्र.पी. 9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी कॉलम नम्बर 3 में रोजनामचा सान्हा क्रमांक अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह ही संदेहास्पद हो जाता है कि घटना दिनांक को प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह घटना स्थल पर गए थे।

18. प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 ने आरक्षक गुलाब सिंह एवं ओमप्रकाश शर्मा के समक्ष आरोपी अन्नू उर्फ मनोज से 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 बनाना बताया है तथा यह भी बताया है कि जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 पर ओमप्रकाश शर्मा के हस्ताक्षर थे, परंतु यह बात स्वयं ओमप्रकाश शर्मा अ.सा. 6 द्वारा नहीं बताई गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 पर ओमप्रकाश अ.सा. 6 के हस्ताक्षर भी नहीं हैं इस प्रकार उक्त बिंदु पर प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 के कथन जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 से भी पुष्ट नहीं रहे हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

19. जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 ने ओमप्रकाश शर्मा अ.सा. 6 के समक्ष आरोपी अन्नू से 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस जप्त करना बताया है परंतु यह बात कथित जप्ती की कार्यवाही के साक्षी आरक्षक गुलाब सिंह अ.सा. 1 द्वारा नहीं बताई गई है। आरक्षक गुलाब सिंह अ.सा. 1 का यह कहना नहीं है कि ओमप्रकाश शर्मा ने भी जप्ती पंचनामा प्र.पी. 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार उक्त बिंदु पर जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ.सा. 8 के कथन आरक्षक गुलाब सिंह अ.सा. 1 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं तो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

## **7 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

20. जहां तक कथित जप्ती की कार्यवाही के साक्षी आरक्षक गुलाब सिंह अ0सा0 1 एवं भगवती प्रसाद अ0सा0 2 के कथन का प्रश्न है तो आरक्षक गुलाब सिंह अ0सा0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी अन्नू से बंदूक एवं कारतूस जप्त कर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उसके समक्ष करना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि भगवती शर्मा उसके साथ नहीं था भगवती शर्मा ने जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस प्रकार आरक्षक गुलाब सिंह अ0सा0 1 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 पर भगवती शर्मा के हस्ताक्षर न होना बताया है एवं भगवती शर्मा का मौके पर मौजूद न होना बताया है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार भगवती शर्मा अ0सा0 2 जप्ती की कार्यवाही का साक्षी है एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 पर भगवती शर्मा के हस्ताक्षर हैं इस प्रकार आरक्षक गुलाब सिंह अ0सा0 1 के कथन जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 से पुष्ट नहीं रहे हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

21. साक्षी भगवती प्रसाद अ0सा0 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी अन्नू से थाने के सामने बंदूक जप्त करना एवं लिखापढ़ी करना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी ँ णोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी हाथ में बंदूक लिए भाग रहा था और पुलिस ने बंजारे के पुरा के पास पेट्रोल पंप पर आरोपी को पकड़ा था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0 1 एवं प्र0पी0 2 पर थाने में हस्ताक्षर किए थे। इसप्रकार भगवती शर्मा अ0सा0 2 के कथनों से भी यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं। भगवती प्रसाद अ0सा0 2 के कथन आरक्षक गुलाब सिंह अ0सा0 1 एवं वीरेन्द्र सिंह अ0सा0 8 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

22. जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ0सा0 8 ने आरोपी से 315 बोर की रायफल एवं दो कारतूस जप्त करना बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा जप्तशुदा आयुध को मौके पर शील बंद किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 में जप्तशुदा आयुध को मौके पर शीलबंद किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

23. जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ0सा0 8 ने अपने कथन में ए0एस0आई0 सुभाष पांडे के साथ बंजारे के पुरा पर जाना एवं ए0एस0आई0 सुभाष पांडे को आरोपी के संबंध में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होना बताया है परंतु ए0एस0आई0 सुभाष पांडे को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। अभियोजन कहानी के अनुसार मुखबिर द्वारा सूचना ए0एस0आई0 सुभाष पांडे को दी गई थी परंतु सुभाष पांडे को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

24. जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ0सा0 8 ने साक्षी गुलाब सिंह एवं ओमप्रकाश के समक्ष जप्ती की कार्यवाही करना बताया है परंतु यह बात आरक्षक गुलाब सिंह अ0सा0 1 एवं ओमप्रकाश शर्मा अ0सा0



### **8 आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफो**

6 द्वारा नहीं बताई गई है। जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 पर भगवती के हस्ताक्षर हैं परंतु आरक्षक गुलाब सिंह अ०सा० 1 का कहना है कि भगवती शर्मा उसके साथ नहीं थे एवं भगवती शर्मा ने प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 एवं आरक्षक गुलाब सिंह अ०सा० 1 ने आरोपी अन्नू से बंजारे के पुरा पर पहाड़ी पर 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस जप्त करना बताया है जबकि भगवती प्रसाद अ०सा० 2 जो कि अभियोजन कहानी के अनसुर कथित जप्ती की कार्यवाही का साक्षी है ने आरोपी से गोहद चौराहा थाने के सामने बंदूक करना बताया है एवं प्र०पी० 1 एवं प्र०पी० 2 पर थाने में हस्ताक्षर करना बताया है। इस प्रकार जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 एवं साक्षी गुलाब सिंह अ०सा० 1 तथा भगवती प्रसाद अ०सा० 2 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक बिंदुओं पर परस्पर विरोधाभासी रहे हैं जो संपूर्ण जप्ती की कार्यवाही को ही संदेहास्पद बना देते हैं।

25. जहां तक प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ०सा० 4 के कथन का प्रश्न है तो राजेन्द्र सिंह अ०सा० 4 ने आरोपी अन्नू से पूछताछ कर प्र०पी० 5 का मेमोरेण्डम तैयार करना बताया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी अन्नू से दिनांक 07.07.13 को आयुध जप्त किए गए थे एवं प्र०पी० 5 का मेमोरेण्डम दिनांक 08.07.13 को लिया गया था। उक्त मेमोरेण्डम के अनुसार आरोपी से कोई जप्ती नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्र०पी० 5 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है एवं प्र०पी० 5 के मेमोरेण्डम से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

26. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा रोजनामचा सान्हा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तशुदा आयुध को मौके पर शीलबंद किए जाने कोई उल्लेख नहीं है जप्ती कर्ता वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 एवं साक्षी गुलाब सिंह अ०सा० 1 एवं भगवती प्रसाद अ०सा० 2 के कथन भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। जप्तीकर्ता वीरेन्द्र सिंह अ०सा० 8 के कथन तात्त्विक बिंदुओं पर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 से भी पुष्ट नहीं रहे हैं ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त आरोप में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

27. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

28. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अन्नू उर्फ मनोज ने दिनांक 07.07.13 को 11:15 बजे पेट्रोल पंप के पीछे खेत में ग्वालियर भिण्ड रोड पार आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में संचालनीय सीति वाले आयुध 315 बोर की बंदूक एवं दो जिंदा कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे। फलतः यह न्यायालय आरोपी अन्नू उर्फ मनोज को संदेह का लाभ देते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के आरोप से



## **9 अपराधिक प्रकरण क्रमांक:-1652/2013 ईफौ**

दोषमुक्त करती है।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2**

29. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ0सा0 4 ने अपने कथन में दिनांक 16.12.13 का आरोपी रामसेवक से बंदूक के लाईसेंस की फोटो कॉपी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 7 तैयार करना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी रामसेवक की गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 6 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी0 7 के क्रमशः ए स ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

30. साक्षी मनोज शुक्ला अ0सा0 7 ने भी प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ0सा0 4 के कथन का समर्थन किया है एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 6 एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी0 7 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

31. साक्षी ओमप्रकाश अ0सा0 6 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी रामसेवक को नहीं जानता है उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी0 6 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

32. इस प्रकार प्रधान आरक्षक राजेन्द्र सिंह अ0सा0 4 ने आरोपी रामसेवक से जप्तशुदा बंदूक का लाईसेंस जप्त करना बताया है यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी रामसेवक पर आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में की गई विवेचना के अनुसार अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अन्नू ने घटना दिनांक को जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे। चूंकि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी अन्नू ने जप्तशुदा आयुध वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे थे ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि आरोपी रामसेवक ने जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक एवं दो कारतूस बिना किसी प्राधिकार के लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन में आरोपी अन्नू को परिदत्त किए थे। अतः आरोपी रामसेवक को आयुध अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपी रामसेवक को आयुध अधिनियम की धारा 29 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

33. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अन्नू उर्फ मनोज ने दिनांक 07.07.13 को 11:15 बजे पेट्रोल पंप के पीछे खेत में ग्वालियर भिण्ड रोड पर आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में संचालनीय स्थिति वाला आयुध एवं 315 बोर की बंदूक एवं 315 बोर के दो जिंदा राउण्ड वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने आधिपत्य में रखे तथा आरोपी रामसेवक ने घटना स्थान समय व दिनांक को 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस लाईसेंस की शर्तों के उल्लंघन में आरोपी अन्नू को परिदत्त किए। फलतः न्यायालय आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए

**10 अपराधिक प्रकरण कमांक:-1652/2013 ईफौ**

आरोपी अन्नु उर्फ मनोज को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए एवं आरोपी रामसेवक को आयुध अधिनियम की धारा 29 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

34. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

35. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक एवं कारतूस पूर्व से उसके स्वामी की सुपुर्दगी पर हैं अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान:- गोहद,

दिनांक:-19.04.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,

खुले न्यायालय में घोषित किया गया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टाईप किया

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिक  
(शासकीय / विधिक उपयोग के)